राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक: 21 APR 2022

आदेश

अभियान 'शहर–2021 के अन्तर्गत सामान्य प्रकरणों के संबंध में समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है :–

1. **मौका निरीक्षण करने के संबंध में** :– आदेश दिनांक 08.01.2020, 26.11.2020 व 08.12.2021 के द्वारा नाम हस्तानान्तरण, रजिस्ट्री, एन.ओ.सी (नल, बिजली, ऋण व विक्रय बाबत्) व लीज होल्ड से फ्री–होल्ड के प्रकरणों मे मौका निरीक्षण नहीं करते हुये अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं। इन आदेशों की निरन्तरता में उप–विभाजन/पुनर्गठन के प्रकरणों में भी बिना मौका निरीक्षण किये ही अग्रिम कार्यवाही की जाये। मौके की स्थिति के लिए गूगल प्लान या मौके के मानचित्र या फोटाग्राफ या स्वः प्रमाणित शपथ–पत्र के आधार पर उप–विभाजन/पुर्नगठन की कार्यवाही कर देय राशि लेकर फ्री–होल्ड पट्टे दिए जावें।

2. **निकाय की योजनाओं (अहस्तान्तरित भूखण्डों) के संबंध में**:– आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु आंवटित भूखण्ड़ों एवं पुनर्वास के भूखण्डों तथा पूर्व में कुछ योजनाओं में आवासीय भूखण्ड अ–हस्तानान्तरण की शर्त पर आवंटित किये गये थे जिनका पंजीकृत विक्रय पत्रो के आधार पर फ्री–होल्ड पट्टे की मांग की जा रही है। अतः ऐसे भूखण्डों में अ–हस्तानान्तरणीय की शर्त को विलोपित करते हुए नाम हस्तानान्तरण की छूट अभियान अवधि में प्रदान की जाती है।

3. **स्थानीय स्तर पर भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में**:– भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के नियम–6 में स्थानीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुरूप पट्टाशुदा भूखण्ड के भू–उपयोग परिवर्तन करने के अधिकार दिये गये हैं। अभियान अवधि में निकायों की एम्पावर्ड समिति द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही भी की जावे।

4. **एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के संबंध में**– राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 28 (निकायों को बोर्ड की शक्तियां प्रदान की गई है, जिसके नोट संख्या (iv) अनुसार अभियान अवधि में मेयर/अध्यक्ष की अध्यक्षता में एम्पावर्ड कमेटी का गठन कर बोर्ड के अधिकार एम्पावर्ड कमेटी को दिये गये हैं। अभियान अवधि में एम्पावर्ड कमेटी की प्रत्येक सप्ताह में 5 बैठक किये जाने के आदेश दिये गये थे, किन्तु कई निकायों द्वारा बैठकें नियमित रूप से नही बुलायी जा रही है, जिससे प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब होता है। अतः यदि निकाय द्वारा एम्पावर्ड कमेटी की बैठक नियमित रूप से नही बुलायी जाती है, तो संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 28.09.2021 के अनुसार स्वयं की अध्यक्षता में बैठक बुलायी जाकर निर्णय लिये जायेगें, जिन्हें निकाय द्वारा मान्यता दी जावेगी।

5. **पट्टों पर हस्ताक्षर के संबंध में**– निकाय द्वारा जारी पट्टे पर मेयर/सभापति/अध्यक्ष के साथ–साथ आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर का प्रावधान है।

मेयर/सभापति/अध्यक्ष को 15 दिवस में हस्ताक्षर कर पत्रावली आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को लौटायी जानी है। किन्तु सरकार की जानकारी में लाया गया है, कि कई निकायों में मेयर/सभापति/अध्यक्ष द्वारा पट्टे पर हस्ताक्षर करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। अतः अब यह अवधि 15 दिवस से घटाकर 3 दिवस की जाती है। यदि इस अवधि में मेयर/सभापति/अध्यक्ष द्वारा पट्टे पर हस्ताक्षर कर पत्रावली नही लौटायी जाती है, तो आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा केवल अपने हस्ताक्षर से ही पट्टा जारी किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक: 21 APR 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
13. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम